न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अनुभा सिंह (आर.जे.एस.)

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या – 931/2009

CIS Reg. No. – REG. CRI. CASE/1798/2014

CNR No. – RJJH020007642012

राजस्थान राज्य बनाम ज्ञानाराम वगैरह

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः 211/2009, पुलिस थाना कोतवाली झुंझुनूं

अपराध अन्तर्गत धाराः 420, 465, 467, 468, 471, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता

भाग–प्रथम

A

परिवादी	बनवारीलाल पुत्र जुथाराम, निवासी भोजासर, पुलिस थाना मण्डावा, जिला झुंझुनूं (राज.) तत्कालीन परिवहन निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय, झुंझुनूं (राज.)
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी
अभियुक्तगण का नाम व पता	1. ज्ञानाराम पुत्र मूलाराम, निवासी प्लॉट नम्बर 59 गोपाल बाड़ी लाडनू रोड़ डीडवाना, जिला नागौर (राज.) 2. जाकिर खान पुत्र मेजर खान, निवासी पुरा की ढाणी, पुलिस थाना सदर झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं (राज.) 3. देवी दयाल उर्फ देबू पुत्र भागीरथमल, निवासी अम्बेडकर नगर फतेहपुर रोड़ सीकर, जिला सीकर (राज.) 4. रतनाराम पुत्र मोहनराम, निवासी नगवाड़ा, पुलिस थाना चितावा, जिला नागौर (राज.) 5. सुशील कुमार पुत्र विनोद कुमार, निवासी वार्ड नम्बर 28 शेखपुरा मोहल्ला सीकर, जिला सीकर (राज.) 6. मोहम्मद याकूब पुत्र फतेह मोहम्मद, निवासी ग्राम भीमसर, पुलिस

	थाना सदर झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं (राज.) 7. जगमोहन पुत्र जगराम सिंह, निवासी झान्झा, पुलिस थाना बुहाना हाल सी–41 रीको कॉलोनी झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं (राज.) 8. मनोहरलाल पुत्र रामेश्वर लाल, निवासी इण्डाली, पुलिस थाना बगड़ हाल किसान कॉलोनी झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं (राज.) 9. बीरबल सिंह पुत्र बिरजु राम, निवासी संजय नगर पोस्ट भोजासर, पुलिस थाना मण्डावा, जिला झुंझुनूं (राज.) 10. बनवारी लाल पुत्र झुंथाराम, निवासी भोजासर, पुलिस थाना मण्डावा, जिला झुंझुनूं (राज.) 11. गोपाल कृष्ण शर्मा पुत्र टेकचन्द शर्मा, निवासी पंचदेव मंदिर के पास झुंझुनूं तत्कालीन परिवहन निरीक्षक डी.टी.ओ. झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं (राज.) **(कार्यवाही उपशमनित दिनांक 04.09.2025)** 12. कैलाश चंद पुत्र कानाराम, निवासी बालेरा, पुलिस थाना छापर, जिला चूरू (राज.) 13. जगदीश प्रसाद बुंदेला पुत्र मोहन लाल, निवासी वार्ड नम्बर 11 बगड़, पुलिस थाना बगड़, जिला झुंझुनूं (राज.) **(कार्यवाही उपशमनित दिनांक 27.02.2020)** 14. दिनेश सिंह सागर पुत्र छोटे लाल सागर, निवासी B–31 सरस्वती नगर बासनी, पुलिस थाना बासनी, जिला जोधपुर हाल डी.टी.ओ. जोधपुर, जिला जोधपुर (राज.) 15. भागुराम बालान पुत्र गणपतराम बालान, निवासी वार्ड नम्बर 17 मुकन्दगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं (राज.) **(कार्यवाही उपशमनित दिनांक 30.10.2025)**
राज्य की ओर से	श्रीमती विजयलक्ष्मी, अभियोजन अधिकारी
अधिवक्ता अभियुक्तगण	श्री जगदीश काजला वास्ते अभियुक्तगण मनोहर लाल, बनवारी लाल श्री मनोहर लाल सैनी वास्ते अभियुक्तगण ज्ञानाराम, देवीदयाल उर्फ देबू श्री रवि कुमार वास्ते अभियुक्त कैलाश चंद श्री विरेंद्र सीगड़ वास्ते अभियुक्त सुशील कुमार श्री महेश चंद शर्मा वास्ते अभियुक्त जगमोहन

	श्री सुभाष चंद पूनियां वास्ते अभियुक्त दिनेश सिंह सागर, बीरबल सिंह श्री भगवान सिंह वास्ते अभियुक्त रतनाराम श्री अजीज खान वास्ते अभियुक्त जाकिर अली अभियुक्त मो. याकूब स्वयं

B

अपराध की दिनांक	13.06.2009 से पूर्व
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	13.06.2009
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	05.10.2009
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	1. दिनांक 01.03.2011 ज्ञानाराम, जाकिर खान, देवी दयाल, रतनाराम, मो. याकूब, जगमोहन, मनोहर लाल, बीरबल सिंह, बनवारी लाल, कैलाश चंद, 2. दिनांक 05.03.2011 अभियुक्तगण सुशील कुमार, दिनेश सिंह सागर
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	07.01.2020
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	--
निर्णय दिनांक	23.07.2026
दण्डादेश की दिनांक	---

C

अभियुक्तगण का विवरण

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा-428 दण्ड प्रकिया संहिता के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
01	ज्ञानाराम	08.07.09	03.08.10	420, 465, 467, 468, 471, 120B IPC	दोषमुक्त	---	---
02	सुशील कुमार	22.07.09	27.07.09				
03	जममोहन	22.07.09	27.07.09				
04	मो. याकूब	25.07.09	27.07.09				
05	जाकिर खान	08.07.09	03.08.10				
06	देवी दयाल	11.07.09	12.08.09				
07	बीरबल सिंह	11.07.09	14.10.09				
08	दिनेश सिंह	07.08.09	10.11.09				
09	बनवारी लाल	07.08.09	10.11.09				
10	मनोहर लाल	07.08.09	22.08.09				
11	रतनाराम	31.07.09	19.10.09				

12	कैलाश चंद	19.11.10	12.05.11				

भाग–द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी.डब्ल्यू. 1	मनोज कुमार	ताईद एफआईआर, बयान धारा 161 दप्रसं
पी.डब्ल्यू. 2	रोहिताश्व कुलदीप	बयान धारा 161 दप्रसं
पी.डब्ल्यू. 3	प्यारेलाल	बयान धारा 161 दप्रसं
पी.डब्ल्यू. 4	हेमराज	बयान धारा 161 दप्रसं
पी.डब्ल्यू. 5	शेरसिंह	बयान धारा 161 दप्रसं, फर्द जब्ती मूल स्टाम्प
पी.डब्ल्यू. 6	हरजिन्द्र सिंह	तकमील तफ्तीश
पी.डबल्यू 7	ओमप्रकाश शर्मा	बयान धारा 161 दप्रसं, फर्द जब्ती
पी.डबल्यू 8	मानसिंह	बयान धारा 161 दप्रसं, रिकार्ड ताईद
पी.डबल्यू 9	विजयपाल काजला	बयान धारा 161 दप्रसं, रिकार्ड ताईद
पी.डबल्यू 10	भंवरलाल	बयान धारा 161 दप्रसं व प्राथमिक जांच रिपोर्ट
पी.डबल्यू 11	विक्रम सिंह	टी.आर.सी. जारी करने बाबत
पी.डबल्यू 12	भंवर लाल वर्मा	बयान धारा 161 दप्रसं, रिकार्ड ताईद
पी.डबल्यू 13	संपतराम	हालात तफ्तीश
पी.डबल्यू 14	भगवान सिंह	बयान धारा 161 दप्रसं, रिकार्ड ताईद
पी.डबल्यू 15	नरेश कुमार	बयान धारा 161 दप्रसं, रिकार्ड ताईद
पी.डबल्यू 16	सुन्दरलाल	बयान धारा 161 दप्रसं
पी.डबल्यू 17	जितेन्द्र	बयान धारा 161 दप्रसं, रिकार्ड ताईद
पी.डबल्यू 18	अनिल गर्ग	बयान धारा 161 दप्रसं, रिकार्ड ताईद
पी.डबल्यू 19	रामवतार गर्ग	बयान धारा 161 दप्रसं, रिकार्ड ताईद
पी.डबल्यू 20	वीरेन्द्र पाल	बयान धारा 161 दप्रसं, रिकार्ड ताईद
पी.डबल्यू 21	धर्मेन्द्र सिंह	बयान धारा 161 दप्रसं, रिकार्ड ताईद
पी.डबल्यू 22	प्रमेन्द्र कुमार	फर्द जब्ती, बरामदगी एवं बरामदगी नक्शा मौका
पी.डबल्यू 23	गोवर्धनलाल	हालात तफ्तीश
पी.डबल्यू 24	चिरंजीलाल	हालात तफ्तीश
पी.डबल्यू 25	गिरधारीलाल	चार्जशीट
पी.डबल्यू 26	हरिनिवास शर्मा	बयान धारा 161 दप्रसं, रिकार्ड ताईद
पी.डबल्यू 27	सत्यप्रकाश गोयल	बयान धारा 161 दप्रसं, रिकार्ड ताईद

पी.डबल्यू 28	नरेश चन्द्र त्रिपाठी	बयान धारा 161 दप्रसं, रिकार्ड ताईद
पी.डबल्यू 29	बंशीलाल मीणा	बयान धारा 161 दप्रसं, रिकार्ड ताईद
पी.डबल्यू 30	के. अश्विनी कुमार	बयान धारा 161 दप्रसं, रिकार्ड ताईद
पी.डबल्यू 31	श्रीराम शर्मा	बयान धारा 161 दप्रसं
पी.डबल्यू 32	सत्यनारायण शर्मा	बयान धारा 161 दप्रसं
पी.डबल्यू 33	संसक शेखर	बयान धारा 161 दप्रसं, रिकार्ड ताईद
पी.डबल्यू 34	शेखर अग्रवाल	बयान धारा 161 दप्रसं, रिकार्ड ताईद
पी.डबल्यू 35	रामस्वरूप	हालात तफ्तीश एवं ताईद रिकार्ड
पी.डबल्यू 36	संजय उपाध्याय	बयान धारा 161 दप्रसं, रिकार्ड ताईद
पी.डबल्यू 37	अजीत कुमार	बयान धारा 161 दप्रसं, रिकार्ड ताईद
पी.डबल्यू 38	एस. एम. जांगीड़	बयान धारा 161 दप्रसं, रिकार्ड ताईद
पी.डबल्यू 39	बी.एल.मीणा	बयान धारा 161 दप्रसं, रिकार्ड ताईद
पी.डबल्यू 40	अंकेश जैन	बयान धारा 161 दप्रसं, रिकार्ड ताईद
पी.डबल्यू 41	सरजीत सिंह	एफ.एस.एल. करियर, फर्द जब्ती रिकार्ड एवं फर्द गिरफ्तारी
पी.डबल्यू 42	शिवलाल जोशी	हालात तफ्तीश

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
––	––	––

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
–––		

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श पी 01	कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सीकर की ओर से प्रस्तुत जांच रिपोर्ट
02	प्रदर्श पी 02	तहरीरी रिपोर्ट
03	प्रदर्श पी 03	गोपाल कृष्ण शर्मा की आरसी व फार्म नम्बर 20
04	प्रदर्श पी 04	ट्रेक्टर नं. RJ18PA2443 की पत्रावली व कार्यालय टिप्पणी

05	प्रदर्श पी 05	ट्रेक्टर नं. RJ18PA2407 की पत्रावली व कार्यालय टिप्पणी
06	प्रदर्श पी 06	ट्रेक्टर नं. RJ18RA2529 की पत्रावली व कार्यालय टिप्पणी
07	प्रदर्श पी 07	ट्रेक्टर नं. RJ18RA2412 की पत्रावली व कार्यालय टिप्पणी
08	प्रदर्श पी 08	ट्रेक्टर नं. RJ18RA2807 की पत्रावली व कार्यालय टिप्पणी
09	प्रदर्श पी 09	ट्रेक्टर नं. RJ18RA2813 की पत्रावली व कार्यालय टिप्पणी
10	प्रदर्श पी 10	ट्रेक्टर नं. RJ18RA2833 की पत्रावली व कार्यालय टिप्पणी
11	प्रदर्श पी 11	ट्रेक्टर नं. RJ18RA2669 की पत्रावली व कार्यालय टिप्पणी
12	प्रदर्श पी 12	ट्रेक्टर नं. RJ18RA2672 की पत्रावली व कार्यालय टिप्पणी
13	प्रदर्श पी 13	ट्रेक्टर नं. RJ18RA2578 की पत्रावली व कार्यालय टिप्पणी
14	प्रदर्श पी 14	ट्रेक्टर नं. RJ18RA2581 की पत्रावली व कार्यालय टिप्पणी
15	प्रदर्श पी 15	ट्रेक्टर नं. RJ18RA2409 की पत्रावली व कार्यालय टिप्पणी
16	प्रदर्श पी 16	ट्रेक्टर नं. RJ18RA2588 की पत्रावली व कार्यालय टिप्पणी
17	प्रदर्श पी 17	ट्रेक्टर नं. RJ18RA2425 की पत्रावली व कार्यालय टिप्पणी
18	प्रदर्श पी 18	ट्रेक्टर नं. RJ18RA2541 की पत्रावली व कार्यालय टिप्पणी
19	प्रदर्श पी 19	ट्रेक्टर नं. RJ18RA2447 की पत्रावली व कार्यालय टिप्पणी
20	प्रदर्श पी 20	ट्रेक्टर नं. RJ18RA2771 की पत्रावली व कार्यालय टिप्पणी
21	प्रदर्श पी 21	ट्रेक्टर नं. RJ18RA2809 की पत्रावली व कार्यालय टिप्पणी
22	प्रदर्श पी 22	ट्रेक्टर नं. RJ18RA2806 की पत्रावली व कार्यालय टिप्पणी
23	प्रदर्श पी 23	ट्रेक्टर नं. RJ18RA2670 की पत्रावली व कार्यालय टिप्पणी
24	प्रदर्श पी 24	ट्रेक्टर नं. RJ18RA2540 की पत्रावली व कार्यालय टिप्पणी
25	प्रदर्श पी 25	ट्रेक्टर नं. RJ18RA2426 की पत्रावली व कार्यालय टिप्पणी
26	प्रदर्श पी 26	ट्रेक्टर नं. RJ18RA2427 की पत्रावली व कार्यालय टिप्पणी
27	प्रदर्श पी 27	ट्रेक्टर नं. RJ18RA2446 की पत्रावली व कार्यालय टिप्पणी
28	प्रदर्श पी 28	ट्रेक्टर नं. RJ18RA2445 की पत्रावली व कार्यालय टिप्पणी
29	प्रदर्श पी 29	ट्रेक्टर नं. RJ18RA22579 की पत्रावली व कार्यालय टिप्पणी
30	प्रदर्श पी 30	ट्रेक्टर नं. RJ18RA2428 की पत्रावली व कार्यालय टिप्पणी
31	प्रदर्श पी 31	ट्रेक्टर नं. RJ18RA2770 की पत्रावली व कार्यालय टिप्पणी
32	प्रदर्श पी 32	ट्रेक्टर नं. RJ18RA2580 की पत्रावली व कार्यालय टिप्पणी
33	प्रदर्श पी 33	ट्रेक्टर नं. RJ18RA2444 की पत्रावली व कार्यालय टिप्पणी
34	प्रदर्श पी 34	ट्रेक्टर नं. RJ18RA2811 की पत्रावली व कार्यालय टिप्पणी
35	प्रदर्श पी 35	ट्रेक्टर नं. RJ18RA2410 की पत्रावली व कार्यालय टिप्पणी
36	प्रदर्श पी 36	ट्रेक्टर नं. RJ18RA2408 की पत्रावली व कार्यालय टिप्पणी
37	प्रदर्श पी 37	ट्रेक्टर नं. RJ18RA2477 की पत्रावली व कार्यालय टिप्पणी
38	प्रदर्श पी 38	ट्रेक्टर नं. RJ18RA2812 की पत्रावली व कार्यालय टिप्पणी

39	प्रदर्श पी 39	ट्रेक्टर नं. RJ18RA2411 की पत्रावली व कार्यालय टिप्पणी
40	प्रदर्श पी 40	ट्रेक्टर नं. RJ18RA2478 की पत्रावली व कार्यालय टिप्पणी
41	प्रदर्श पी 41	ट्रेक्टर नं. RJ18RA2494 की पत्रावली व कार्यालय टिप्पणी
42	प्रदर्श पी 42	ट्रेक्टर नं. RJ18RA2424 की पत्रावली व कार्यालय टिप्पणी
43	प्रदर्श पी 43	ट्रेक्टर नं. RJ18RA2406 की पत्रावली व कार्यालय टिप्पणी
44	प्रदर्श पी 44	ट्रेक्टर नं. RJ18RA2587 की पत्रावली व कार्यालय टिप्पणी
45	प्रदर्श पी 45	ट्रेक्टर नं. RJ18RA2681 की पत्रावली व कार्यालय टिप्पणी
46	प्रदर्श पी 46	ट्रेक्टर नं. RJ18RA2682 की पत्रावली व कार्यालय टिप्पणी
47	प्रदर्श पी 47	ट्रेक्टर नं. RJ18RA2495 की पत्रावली व कार्यालय टिप्पणी
48	प्रदर्श पी 48	फर्द जब्ती दस्तावेज ट्रेक्टर कुल 45 फाईल
49	प्रदर्श पी 49	सूची दस्तावेज ट्रेक्टर कुल 45 फाईल
50	प्रदर्श पी 50 ता 52	बिलों की प्रमाणित प्रतियां
51	प्रदर्श पी 53	फार्म नम्बर 22
52	प्रदर्श पी 54	फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी मुलजिम ज्ञानाराम
53	प्रदर्श पी 55	फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी मुलजिम जाकिर खान
54	प्रदर्श पी 56	फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी मुलजिम देवी दयाल उर्फ देबू
55	प्रदर्श पी 57	फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी मुलजिम ज्ञानाराम
56	प्रदर्श पी 58	नक्शा मौका बरामदगी स्थल एक बिल बुक व सेल लेटर बुक
57	प्रदर्श पी 59	फर्द जब्ती एवं बरामदगी 13 फोटो कॉपियां मतदाता पहचानपत्र के पीछे का हिस्सा
58	प्रदर्श पी 60	नक्शा मौका बरामदगी स्थल
59	प्रदर्श पी 61	फर्द जब्ती एवं बरामदगी 9 फोटो कापियां मतदाता पहचानपत्र
60	प्रदर्श पी 62	नक्शा मौका बरामदगी स्थल
61	प्रदर्श पी 63	फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी मुलजिम मोहम्मद याकुब
62	प्रदर्श पी 64	फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी मुलजिम सुशील कुमार
63	प्रदर्श पी 65	फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी मुलजिम जगमोहन
64	प्रदर्श पी 66	फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी मुलजिम रतनाराम
65	प्रदर्श पी 67	फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी मुलजिम मनोहरलाल
66	प्रदर्श पी 68	फर्द जब्ती एवं बरामदगी गोल शीलमोहर, एटेस्टेड शील मोहर, ट्यूर कोपी शील मोहर व दिनांक की शील मोहर
67	प्रदर्श पी 69	नक्शा मौका बरामदगी स्थल
68	प्रदर्श पी 70	फर्द जब्ती एवं बरामदगी गोल शीलमोहर रबड़, एक ट्यूर कोपी शील मोहर रबड़

69	प्रदर्श पी 71	नक्शा मौका बरामदगी स्थल
70	प्रदर्श पी 72	फर्द जब्ती एवं बरामदगी गोल शीलमोहर रबड़, एक एटेस्टेड शील मोहर रबड़, एक ट्यूर कोपी शील मोहर रबड़
71	प्रदर्श पी 73	नक्शा मौका बरामदगी स्थल
72	प्रदर्श पी 74	फर्द जब्ती एवं बरामदगी गोल शीलमोहर, एक एटेस्टेड शील मोहर, ट्यूर कोपी शील मोहर
73	प्रदर्श पी 75	नक्शा मौका बरामदगी स्थल
74	प्रदर्श पी 76	फर्द बरामदगी एवं जब्ती चार ट्रेक्टर
75	प्रदर्श पी 77	फर्द जब्ती एक आरसी ट्रेक्टर नं. RJ 18 RA 2578
76	प्रदर्श पी 78	नक्शा मौका बरामदगी स्थल चार ट्रेक्टर
77	प्रदर्श पी 79	फर्द जब्ती दो रजिस्ट्रेशन पत्रावलियां, एक ट्रेक्टर नम्बर RJ 18 RA 0655 व मोटरसाईकिल नम्बर RJ 18 5A 5212
78	प्रदर्श पी 80	फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी मुलजिम दिनेश सिंह
79	प्रदर्श पी 81	फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी मुलजिम जगदीश प्रसाद बुंदेला
80	प्रदर्श पी 82	फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी मुलजिम गोपाल कृष्ण
81	प्रदर्श पी 83	फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी मुलजिम बनवारीलाल
82	प्रदर्श पी 84	फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी मुलजिम बिरबलसिंह
83	प्रदर्श पी 85	फर्द जब्ती रजिस्ट्रेशन फाईल ट्रेक्टर नं. RJ18RA9660
84	प्रदर्श पी 86	फर्द इत्तला अन्तर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम ज्ञानाराम
85	प्रदर्श पी 86	गवाह विजयपाल के बयान धारा 161 सीआरपीसी
86	प्रदर्श पी 87	जिला परिवहन अधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक (प्रशासन एवं अन्वेषण) CID (CB) जयपुर को जारी पत्र
87	प्रदर्श पी 87	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम जाकिर खांन
88	प्रदर्श पी 88	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम देवी दयाल उर्फ देबु
89	प्रदर्श पी 88	ट्रेक्टर की नोट सीट
90	प्रदर्श पी 89	जाकिर खां द्वारा बरामद करवाई गई फोटोप्रतियां
91	प्रदर्श पी 90	देवीदयाल द्वारा बरामद करवाई गई फोटोप्रतियां
92	प्रदर्श पी 90	राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति
93	प्रदर्श पी 91	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम सुशील कुमार
94	प्रदर्श पी 92	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम जगमोहन
95	प्रदर्श पी 93	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम मोहम्मद याकुब
96	प्रदर्श पी 94	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम रतनाराम
97	प्रदर्श पी 95	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम मनोहरलाल

98	प्रदर्श पी 96	पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ट्रैक्टर चैसिस नम्बर 354237 की तफ्तीश के संबंध में जारी पत्र
99	प्रदर्श पी 97	पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ट्रैक्टर चैसिस नम्बर 388247 की तफ्तीश के संबंध में जारी पत्र
100	प्रदर्श पी 98	पंजाब नेशनल बैंक गोरखपुर द्वारा ट्रैक्टर नम्बर HR 22 D 6967 तफ्तीश के संबंध में जारी पत्र
101	प्रदर्श पी 99	पुलिस निरीक्षक द्वारा ट्रेक्टर चैसिस नम्बर 354237 के संबंध में बैंक को जारी पत्र
102	प्रदर्श पी 100	पुलिस निरीक्षक द्वारा ट्रेक्टर चैसिस नम्बर 388247 के संबंध में बैंक को जारी पत्र
103	प्रदर्श पी 101	पुलिस निरीक्षक द्वारा ट्रेक्टर चैसिस नम्बर 365755 के संबंध में बैंक को जारी पत्र
104	प्रदर्श पी 102	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम दिनेश सिंह
105	प्रदर्श पी 103	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम बिरबल सिंह
106	प्रदर्श पी 104	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम जगदीश प्रसाद
107	प्रदर्श पी 104 से 148	45 वाहन के रजिस्ट्रेशन संबंधी पत्रावलियां
108	प्रदर्श पी 149	अधिकार पत्रावलियां
109	प्रदर्श पी 149	चाक एफआईआर
110	प्रदर्श पी 150	TAFE लिमिटेड द्वारा जारी बिल
111	प्रदर्श पी 151	फोर्स मोटर्स द्वारा पुलिस अधीक्षक जयपुर को ट्रेक्टर चैसिस नम्बर 263129 के संबंध में जारी पत्र
112	प्रदर्श पी 152	बैंक स्टेटमेंट
113	प्रदर्श पी 153	नीरज ट्रेडर्स द्वारा जारी बिल
114	प्रदर्श पी 154	जबलपुर आरटीओ द्वारा जारी रिकॉर्ड
115	प्रदर्श पी 155	फार्म नम्बर 21 दिनांक 26.05.2005
116	प्रदर्श पी 156	फार्म नम्बर 21
117	प्रदर्श पी 157	रजिस्ट्रेशन विवरणिका लीलावती ऑटोमोबाईल हमीरपुर
118	प्रदर्श पी 158	ट्रेक्टर हिस्ट्री रजिस्टर लीलावती ऑटोमोबाईल यू.पी.
119	प्रदर्श पी 159	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर द्वारा जारी स्टेटमेंट
120	प्रदर्श पी 160	भारतीय स्टेट बैंक देहरवारा शाखा 9525 द्वारा जारी स्टेटमेंट
121	प्रदर्श पी 161 से 164	नमूना चिट की कार्बन प्रति
122	प्रदर्श पी 165	जिला परिवहन कार्यालय झुंझुनू से वाहनों की जब्त पत्रावलियां

	से 169	
123	प्रदर्श पी 170	गवाह अंकेश जैन के बयान धारा 161 सीआरपीसी
124	प्रदर्श पी 171	फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी मुलजिम कैलाशचन्द
125	प्रदर्श पी 172	फर्द जब्ती कागजात
126	प्रदर्श पी 173	जिला परिवहन अधिकारी झुंझुनू द्वारा पुलिस निरीक्षक CID (CB) रेंज सैल जयपुर को तफ्तीश के संबंध में जारी पत्र
127	प्रदर्श पी 174	जिला परिवहन अधिकारी झुंझुनू द्वारा जिले में पंजीकृत ट्रेक्टरों की पंजीयन पत्रावलियों के आदान प्रदान प्रपत्र
128	प्रदर्श पी 175	विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर द्वारा जारी प्राप्ति रसीद
129	प्रदर्श पी 176	ट्रेक्टर नम्बर RJ 18 RA 3076 की पत्रावली
130	प्रदर्श पी 177	ट्रेक्टर नम्बर RJ 18 RA 3077 की पत्रावली
131	प्रदर्श पी 178	ट्रेक्टर नम्बर RJ 18 RA 3078 की पत्रावली
132	प्रदर्श पी 179	ट्रेक्टर नम्बर RJ 18 RA 3079 की पत्रावली
133	प्रदर्श पी 180	ट्रेक्टर नम्बर RJ 18 RA 3080 की पत्रावली
134	प्रदर्श पी 181	ट्रेक्टर नम्बर RJ 18 RA 3096 की पत्रावली
135	प्रदर्श पी 182	ट्रेक्टर नम्बर RJ 18 RA 3097 की पत्रावली
136	प्रदर्श पी 183	ट्रेक्टर नम्बर RJ 18 RA 3098 की पत्रावली
137	प्रदर्श पी 184	ट्रेक्टर नम्बर RJ 18 RA 3099 की पत्रावली
138	प्रदर्श पी 185	ट्रेक्टर नम्बर RJ 18 RA 3100 की पत्रावली
139	प्रदर्श पी 186	ट्रेक्टर नम्बर RJ 18 R 2836 की पत्रावली
140	प्रदर्श पी 187	ट्रेक्टर नम्बर RJ 18 RA 2988 की पत्रावली
141	प्रदर्श पी 188	ट्रेक्टर नम्बर RJ 18 RA 2989 की पत्रावली
142	प्रदर्श पी 189	ट्रेक्टर नम्बर RJ 18 RA 2990 की पत्रावली
143	प्रदर्श पी 190	ट्रेक्टर नम्बर RJ 18 RA 3002 की पत्रावली
144	प्रदर्श पी 191	ट्रेक्टर नम्बर RJ 18 RA 2306 की पत्रावली
145	प्रदर्श पी 192	ट्रेक्टर नम्बर RJ 18 RA 2307 की पत्रावली
146	प्रदर्श पी 193	ट्रेक्टर नम्बर RJ 18 RA 2308 की पत्रावली
147	प्रदर्श पी 194	ट्रेक्टर नम्बर RJ 18 RA 2309 की पत्रावली
148	प्रदर्श पी 195	ट्रेक्टर नम्बर RJ 18 RA 2336 की पत्रावली
149	प्रदर्श पी 196	ट्रेक्टर नम्बर RJ 18 RA 3096 की पत्रावली
150	प्रदर्श पी 197	ट्रेक्टर नम्बर RJ 18 RA 3097 की पत्रावली
151	प्रदर्श पी 198	ट्रेक्टर नम्बर RJ 18 RA 3098 की पत्रावली
152	प्रदर्श पी 199	ट्रेक्टर नम्बर RJ 18 RA 3099 की पत्रावली
153	प्रदर्श पी 200	ट्रेक्टर नम्बर RJ 18 RA 3100 की पत्रावली

154	प्रदर्श पी 201	ट्रेक्टर नम्बर RJ 18 RA 2836 की पत्रावली
155	प्रदर्श पी 202	ट्रेक्टर नम्बर RJ 18 RA 2989 की पत्रावली
156	प्रदर्श पी 203	ट्रेक्टर नम्बर RJ 18 RA 2990 की पत्रावली
157	प्रदर्श पी 204	ट्रेक्टर नम्बर RJ 18 RA 2307 की पत्रावली
158	प्रदर्श पी 205	ट्रेक्टर नम्बर RJ 18 RA 2309 की पत्रावली
159	प्रदर्श पी 206	ट्रेक्टर नम्बर RJ 18 RA 2330 की पत्रावली
160	प्रदर्श पी 207	ट्रेक्टर नम्बर RJ 18 RA 3076 की पत्रावली
161	प्रदर्श पी 208	ट्रेक्टर नम्बर RJ 18 RA 3077 की पत्रावली
162	प्रदर्श पी 209	ट्रेक्टर नम्बर RJ 18 RA 3078 की पत्रावली
163	प्रदर्श पी 210	ट्रेक्टर नम्बर RJ 18 RA 3079 की पत्रावली
164	प्रदर्श पी 211	ट्रेक्टर नम्बर RJ 18 RA 3080 की पत्रावली
165	प्रदर्श पी 212	ट्रेक्टर नम्बर RJ 18 RA 2988 की पत्रावली
166	प्रदर्श पी 213	ट्रेक्टर की पत्रावली
167	प्रदर्श पी 214	ट्रेक्टर नम्बर RJ 18 RA 3002 की पत्रावली
168	प्रदर्श पी 215	कवरिंग लेटर
169	प्रदर्श पी 216 ता 256	TAFE लिमिटेड द्वारा जारी बिलों की प्रमाणित प्रतियां
170	प्रदर्श पी 257	रिलायंस जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी से प्राप्त रिकॉर्ड
171	प्रदर्श पी 258	जिला परिवहन अधिकारी डीडवाना द्वारा पुलिस निरीक्षक CID (CB) राज. जयपुर को जारी पत्र दिनांक 08.09.10
172	प्रदर्श पी 259	जिला परिवहन अधिकारी डीडवाना द्वारा पुलिस निरीक्षक CID (CB) राज. जयपुर को जारी पत्र दिनांक 16.09.10
173	प्रदर्श पी 260 ता 262	रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां
174	प्रदर्श पी 263	तेज गति नमूना हस्ताक्षर आरोपी दिनेश सिंह सागर
175	प्रदर्श पी 264	मध्यम गति नमूना हस्ताक्षर आरोपी दिनेश सिंह सागर
176	प्रदर्श पी 265	धीमी गति नमूना हस्ताक्षर आरोपी दिनेश सिंह सागर
177	प्रदर्श पी 266	तेज गति नमूना हस्ताक्षर आरोपी गोपाल कृष्ण शर्मा
178	प्रदर्श पी 267	मध्यम गति नमूना हस्ताक्षर आरोपी गोपाल कृष्ण शर्मा
179	प्रदर्श पी 268	धीमी गति नमूना हस्ताक्षर आरोपी गोपाल कृष्ण शर्मा
180	प्रदर्श पी 269	तेज गति नमूना हस्ताक्षर आरोपी बनवारीलाल
181	प्रदर्श पी 270	मध्यम गति नमूना हस्ताक्षर आरोपी बनवारीलाल
182	प्रदर्श पी 271	धीमी गति नमूना हस्ताक्षर आरोपी बनवारीलाल
183	प्रदर्श पी 272	तेज गति नमूना हस्ताक्षर आरोपी जगदीश प्रसाद बुंदेला
184	प्रदर्श पी 273	मध्यम गति नमूना हस्ताक्षर आरोपी जगदीश प्रसाद बुंदेला

185	प्रदर्श पी 274	धीमी गति नमूना हसताक्षर आरोपी जगदीश प्रसाद बुंदेला
186	प्रदर्श पी 275	तेज गति नमूना हस्ताक्षर आरोपी बीरबल पूनिया
187	प्रदर्श पी 276	मध्यम गति नमूना हस्ताक्षर आरोपी बीरबल पूनिया
188	प्रदर्श पी 277	धीमी गति नमूना हस्ताक्षर आरोपी बीरबल पूनिया
189	प्रदर्श पी 278	तेज गति नमूना हस्ताक्षर आरोपी भागूराम
190	प्रदर्श पी 279	मध्यम गति नमूना हस्ताक्षर आरोपी भागूराम
191	प्रदर्श पी 280	धीमी गति नमूना हस्ताक्षर आरोपी भागूराम
192	प्रदर्श पी 281	तेज गति नमूना हस्ताक्षर आरोपी भागूराम
193	प्रदर्श पी 282	मध्यम गति नमूना हस्ताक्षर आरोपी भागूराम
194	प्रदर्श पी 283	धीमी गति नमूना हस्ताक्षर आरोपी भागूराम
195	प्रदर्श पी 284	तेज गति नमूना हस्ताक्षर आरोपी जगदीश प्रसाद बुंदेला
196	प्रदर्श पी 285	मध्यम गति नमूना हस्ताक्षर आरोपी जगदीश प्रसाद बुंदेला
198	प्रदर्श पी 286	धीमी गति नमूना हस्ताक्षर आरोपी जगदीश प्रसाद बुंदेला
199	प्रदर्श पी 287	एफएसएल रिपोर्ट नमूना हस्ताक्षर

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
	--	

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
	--	

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
1.	01 लगायत 12	मोहर

–निर्णय–

दिनांकः 23 जुलाई, 2026

1. प्रकरण में दौराने विचारण अभियुक्तगण जगदीश प्रसाद बुंदेला, गोपाल कृष्ण शर्मा व भागुराम की मृत्यु हो जाने के कारण उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध क्रमशः दिनांक 27.02.2020, 04.09.2025 एवं 30.10.2025 को दाण्डिक कार्यवाही उपशमनित की जा चुकी है। प्रकरण में अन्य अभियुक्तगण ज्ञानाराम, जाकिर खान, देवी दयाल उर्फ देबू, रतनाराम, सुशील कुमार, मोहम्मद याकूब,

जगमोहन, मनोहरलाल, दिनेश सिंह सागर, बनवारीलाल, कैलाश चंद व बीरबल सिंह पूनिया की हद तक निर्णय किया जा रहा है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 13.06.2009 को तत्कालीन जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनूं द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट बनवारी लाल तत्कालीन परिवहन निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय झुंझुनूं ने पुलिस थाना कोतवाली, झुंझुनूं में इस आशय की पेश की कि श्री बालाजी ट्रेक्टर्स नोखा रोड़, बीदासर की शिकायत पर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी की जांच के निष्कर्ष के आधार पर वाहनों के कागजातों के अवलोकन से क्रय किय गये ट्रेक्टरों के बिल (बिल, सेल लेटर फार्म 22, टी.आर.सी) आदि कूटरचित पाये गये। इस कार्यालय द्वारा उक्त फर्म एसआर द्वारा बेचे गये ट्रेक्टरों के वाहन स्वामियों को दिनांक 21.04.2009 को नोटिस जारी कर दिनांक 04.05.2009 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समय दिया गया। इस बाबत वाहन स्वामियों को भी सूचित किया गया था, परन्तु इसके पश्चात कोई भी वाहन स्वामी व्यक्तिगत रूप से सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुआ और न ही किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज करवाई गई। अतः मोटर वाहन अधिनियम की धारा 55(5) के तहत दिनांक 05.085.2009 को एकतरफा कार्यवाही करते हुए श्री बालाजी ट्रेक्टर्स नोखा रोड़, बीदासर से क्रय किये गये ट्रेक्टरों के सभी पंजीयन प्रमाण पत्र व पंजीयन क्रमांक निरस्त कर दिये गये। श्री बालाजी ट्रेक्टर्स नोखा रोड़, बीदासर के कागजात कूटरचित पाये जाने के कारण वाहन स्वामियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जावे... इत्यादि।

3. उक्त रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 211/2009 अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 420, 465, 467, 468, 471, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता में न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 420, 465, 467,

468, 471, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 420, 465, 467, 468, 471, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए उपरोक्तानुसार वर्णित गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाये गये व उपरोक्तानुसार वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

6. अभियुक्तगण को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परीक्षित किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन की साक्ष्य को गलत होना बताते हुए साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर किया।

7. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई।

8. दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी की ओर से तर्क दिए गए कि प्रकरण में अभियोजन की ओर से पेश साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। लिहाजा अभियुक्तगण को दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

9. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से तर्क दिए गए कि पत्रावली पर श्री बालाजी ट्रेक्टर्स नोखा रोड़, बीदासर के द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर जांच की गई है, जिसमें पूर्व में विक्रय किए गए ट्रेक्टर्स को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही जिला परिवहन कार्यालय, झुंझुनूं से कूटरचित दस्तावेजात के आधार पर पंजीकृत करवाया गया है। बाद जांच श्री बालाजी ट्रेक्टर्स नोखा रोड़, बीदासर के फर्जी व कूटरचित बिल और जप्तशुदा सीडी के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया है, परंतु न्यायालय के समक्ष जिन ट्रेक्टर्स का पंजीयन जांच रिपोर्ट के अनुसार बगैर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए हुआ है उन ट्रेक्टर्स को जब्त नहीं किया गया है एवं ना ही पूर्व के पंजीकृत स्वामी से कोई पूछताद की जाकर उसे बतौर गवाह न्यायालय के समक्ष

परीक्षित करवाया गया है और ना ही वर्तमान पंजीयन स्वामी को बतौर गवाह के परीक्षित करवाया गया है, जबकि न्यायालय के समक्ष परीक्षित गवाह पी.डब्ल्यू. 01 के द्वारा स्पष्ट रूप से इस आशय की साक्ष्य पेश की गई है कि पंजीयन हेतु फार्म–20 आवेदक द्वारा पेश किया जाता है, जिस पर आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर होते हैं और साथ में टी.आर.सी. व बिल सेल लेटर और वाहन का बीमा संलग्न किया जाता है। आवेदक के पत्ते का प्रमाण पत्र संलग्न होता है और जिले के बाहर का वाहन होने पर टी.आर.सी. का सत्यापन करवाया जाता है। हस्तगत प्रकरण में जिन 48 ट्रेक्टरों के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है वे सभी जिले के बाहर से ही क्रय किए गए हैं, परंतु पंजीयन से पूर्व वाहन के टी.आर.सी. का सत्यापन किए जाने से संबंधित भी पत्रावली पर दस्तावेजात नहीं है। हस्तगत प्रकरण में जिन आवेदकों के द्वारा फार्म–20 जिला परिवहन कार्यालय, झुंझुनूं के समक्ष पेश किए गए हैं, उन आवेदकों को भी बतौर गवाह न्यायालय के समक्ष पेश कर परीक्षित नहीं करवाया गया है और ना ही उन आवेदकों के पत्ते के संबंध में तस्दीक की गई है। दौराने जांच इस आशय का भी निष्कर्ष दिया गया है कि जिला परिवहन कार्यालय, झुंझुनूं में अन्य पत्रावलियों में संलग्न पहचान पत्र का दुरूपयोग किया जाकर 48 ट्रेक्टरों के फार्म–20 के आवेदन के साथ संलग्न किए गए हैं, परंतु ऐसे दस्तावेज भी मूल रूप में न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुए हैं और ना ही जिन व्यक्तियों के पहचान पत्र का दुरूपयोग किया जाकर आवेदन के साथ संलग्न किए गए हैं उन व्यक्तियों को बतौर गवाह न्यायालय में परीक्षित करवाया गया है। पत्रावली पर अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहान के द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि टी.आर.सी. बिल बुक जिसको जारी की गई थी और जिसके द्वारा आवेदन किया गया था उसके संबंध में कोई भी जानकारी विभाग में उपलब्ध नहीं पाई है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर टी.आर.सी. बिल बुक फर्जी व कूटरचित है, इस संबंध में दिया गया निष्कर्ष भी संकलित किए गए साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित नहीं माना जा सकता। पत्रावली पर अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहान में केवल अनुसंधान

अधिकारी द्वारा ही अभियुक्तगण के कब्जे से जब्तशुदा दस्तावेजात व सील के आधार पर निष्कर्ष दिये जाने का भी कथन किया गया है, परंतु बरामदगी स्थल का स्वामित्व अभियुक्तगण के कब्जे में रहा है इससे संबंधित कोई साक्ष्य पत्रावली पर संकलित नहीं है। ऐसी स्थिति में बरामदगी स्थल के स्वामित्व के निर्धारण से पूर्व बरामदगी अभियुक्तगण के कब्जे से हुई है, यह तथ्य भी अभियोजन की ओर से प्रमाणित पाया जाना नहीं माना जा सकता है। पत्रावली पर केवल पुलिसकर्मियों को ही फर्जी गिरफ्तारी, फर्द जब्ती, नक्शा मौका बरामदगी स्थल इत्यादि का गवाह बनाया गया है। अन्य किसी भी स्वतंत्र गवाह को बतौर गवाह संयोजित नहीं किया गया है जो भी अनुसंधान के दौरान की गई कार्यवाही को दूषित करता है। पत्रावली पर अभियोजन की ओर से परीक्षित करवाए गए गवाहान के मौखिक साक्ष्य के आधार पर दौराने अनुसंधान अभियुक्तगण के नमूना हस्ताक्षर लिया जाना और एफएसएल में भिजवाए जाने से संबंधित तथ्य है, लेकिन एफएलएल रिपोर्ट अभियोजन की ओर से पेश नहीं की गई है और ना ही नमूना हस्ताक्षर की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया को अपनाया जाकर लिए गए हैं। ऐसी स्थिति में केवल दस्तावेजात एवं जब्त की गई सील के आधार पर अनुसंधान किया गया है, जबकि न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष के द्वारा अभियुक्तगण पर अधिरोपित आरोप को साबित किए जाने के लिए श्रृंखलाबद्ध सकारात्मक साक्ष्य पेश नहीं की गई है। अतः प्रकरण में अभियुक्तगण को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया गया।

10. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन एवं परिशीलन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्नानुसार हैं:-

1. क्या हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण ज्ञानाराम, देवी दयाल उर्फ देबू, जाकिर खान, बीरबल सिंह, बनवारी लाल, कैलाश चंद तथा दिनेश सागर ने गणपति ट्रेक्टर एजेंसी डीडवाना को जारी टी.आर.सी. (Temporary

Registration Certificate) बुक संख्या 0065501 से 0065600 का कम्पनी बंद होने के बाद दुरूपयोग कर फर्जी टी.आर.सी. बिल जारी कर पूर्व से पंजीकृत तथा वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही जिला परिवहन कार्यालय, झुंझुनूं से 48 ट्रेक्टरों का पंजीयन करवाये जाने के लिए मूल्यवान दस्तावेजात की कूटरचना की हो?

2. क्या अभियुक्त मोहम्मद युनुस एवं जगमोहन और सुशील कुमार द्वारा नोटेरी पब्लिक होते हुए अन्य अभियुक्तगण से आपराधिक षड़यंत्र किया जाकर दस्तावेजात को मूल से मिलान किए बिना ही प्रमाणीकरण कर कूटरचित दस्तावेजात तैयार किये हैं?

3. अभियुक्त बीरबल सिंह, बनवारी लाल तथा कैलाश चंद ने अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर आपराधिक षड़यंत्र रचकर जिला परिवहन कार्यालय, झुंझुनूं के समक्ष पंजीयन हेतु पेश किए गए 45 ट्रेक्टरों का कूटरचित दस्तावेजात के आधार पर सत्यापन किया जाकर आपराधिक कृत्य किया हो?

4. यदि, हां तो अभियुक्तगण को क्या सजा दी जावे?

<u>– विचारणीय बिंदु संख्या 01 –</u>

11. उक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में अभियोजन द्वारा पेश की गई साक्ष्य में जिला परिवहन अधिकारी, सीकर की जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी. 01 महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जिसके संबंध में गवाह पी.डब्ल्यू. 01 मनोज कुमार के द्वारा इस आशय की मौखिक साक्ष्य पेश की गई है कि वह घटना के समय जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनूं के पद पर पदस्थापित था और उसे बालाजी ट्रेक्टर्स नोखा रोड़, बीदासर के द्वारा परिवहन विभाग के आयुक्त भंवर लाल के द्वारा जांच की गई, जिसमें 45 ट्रेक्टरों का रजिस्ट्रेशन गलत बिल और सेल लेटर (Sell Letter) के आधार पर माना गया है। उक्त 45 ट्रेक्टरों के वाहन स्वामियों को इस संबंध में नोटिस जारी किया गया, परंतु किसी भी तरफ से कोई जवाब

पेश नहीं होने पर जिला परिवहन कार्यालय, झुंझुनूं से प्रत्येक पंजीयन प्रमाण पत्र तथा पंजीयन कार्मिक को कार्यालय से निरस्त किया गया और इस संबंध में थानाधिकारी कोतवाली को प्रदर्श पी. 02 तहरीरी रिपोर्ट पेश की गई है। गवाह के द्वारा दिए गए बयानों स्पष्ट है कि 45 ट्रेक्टर जिनसे संबंधित पत्रावली अनुसंधान के दौरान प्रदर्श पी. 03 लगायत पी. 47 है पर गलत बिल तथा सेल लेटर शामिल किए गए हैं। गवाहान के बयान से यह भी स्पष्ट है कि बिल बुक श्री बालाजी ट्रेक्टर्स, नोखा रोड़ बीदासर को जारी किए गए हैं। पत्रावली पर संकलित बिल तथा सेल लेटर के आधार पर अनुसंधान अधिकारी द्वारा कार्यवाही की गई है और इस संबंध में अभियोजन द्वारा पत्रावली पर मौखिक साक्षी पी.डब्ल्यू. 04 हेमराज को परीक्षित करवाया गया है जिसने न्यायालय के समक्ष यह तथ्य स्वीकार किया है कि वह श्री बालाजी ट्रेक्टर्स नोखा रोड़, बीदासर का डीलर है और गवाह ने स्वयं के द्वारा ही फर्जी बिल तथा सेल लेटर के आधार पर पंजीयन हेतु आवेदन पेश किए जाने की जानकारी होने पर शिकायत पेश किए जाने का कथन किया है। पत्रावली पर गवाह के द्वारा रजिस्ट्रेशन पत्रावली जो कि 45 ट्रेक्टरों से संबंधित है को प्रदर्श पी. 104 लगायत पी. 148 में संलग्न टी.आर.सी., सेल सर्टिफिकेट (Sell Certificate) फार्म–21 तथा बिल जो कि गवाह की फर्म से ही संबंधित है को पेश किया गया है। जिरह के दौरान गवाह ने स्वीकार किया है कि उसके कोई नमूना हस्ताक्षर एफएसएल जांच के लिए नहीं लिए गए हैं। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने अपनी बिल बुक को भी जांच हेतु पुलिस को नहीं दी। गवाह ने यह तथ्य भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी. 104 लगायत पी. 148 के साथ संलग्न बिल फर्जी है क्योंकि वो अंग्रेजी भाषा में काटे गए हैं और फर्जी बिल पर सील लगी हुई है, जबकि वे सील नहीं लगाते हैं। गवाह ने प्रतिपरीक्षण के दौरान इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने अपनी फर्म की सील मोहर पुलिस को नहीं दी थी।

12. गवाह द्वारा दिए गए मौखिक बयान से स्पष्ट है कि उसके द्वारा पेश की गई रिपोर्ट पर ही प्रकरण की कार्यवाही प्रारम्भ हुई है जिसमें उसके द्वारा यह तथ्य माना गया है कि जरिए प्रदर्श पी. 104 लगायत पी. 148 में सेल बिल फर्जी है क्योंकि वे उसके हस्ताक्षरशुदा नहीं है और उसकी बिल बुक से भी भिन्न है, जबकि गवाह ने यह तथ्य स्वीकार किया है कि मूल मोहर और बिल बुक जब्त नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में जब मूल बिल और मोहर को जब्त नहीं किया गया है तब पत्रावली पर प्रदर्श पी. 104 से पी. 148 में संलग्न किए गए बिल फर्जी होने का निष्कर्ष अनुसंधान अधिकारी द्वारा इस मूल दस्तावेजात से मिलान कर किया गया है, यह तथ्य न्यायालय के समक्ष स्पष्ट नहीं हुआ है और ना ही गवाह पी.डब्ल्यू. 04 हेमराज के नमूना हस्ताक्षर अनुसंधान अधिकारी द्वारा लिये जाकर जांच करवाए जाने के बिना ही प्रदर्श पी. 104 लगायत पी. 148 में संलग्न बिल पर गवाह पी.डब्ल्यू. 04 हेमराज के हस्ताक्षर नहीं किए जाने के तथ्य को प्रमाणित माना जा सकता है।

13. पत्रावली पर अभियुक्तगण पर इस आशय का भी आरोप है कि उनके द्वारा फर्जी टी.आर.सी. बुक संख्या 0065501 से 0065600 का दुरूपयोग किया है। इस संबंध में पत्रावली पर अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहान पी.डब्ल्यू. 07 ओमप्रकाश शर्मा को परीक्षित करवाया गया है जो कि जिला परिवहन कार्यालय, झुंझुनूं में एलडीसी के पद पर पदस्थापित था जिसके द्वारा इस आशय का कथन जिरह के दौरान किया गया है कि टी.आर.सी. उनके विभाग के द्वारा वाहन कम्पनी को दी जाती है और वाहन कम्पनी वाले जिस व्यक्ति ने वाहन खरीदा उसे देते हैं और यह समस्त प्रक्रिया ऑनलाईन होती है। पत्रावली पर तथाकथित फर्जी टी.आर.सी. बिल बुक को जब्त नहीं किया गया है और गवाह पी.डब्ल्यू. 10 भंवर लाल ने मौखिक परीक्षा में यह तथ्य स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी. 104 लगायत पी. 148 में संलग्न टी.आर.सी. बुक जिला परिवहन कार्यालय, चूरू के उपयोग के लिए जारी की गई थी। गवाह ने इस आशय का कथन किया है कि उसके द्वारा ही प्रादेशिक परिवहन कार्यालय,

सीकर के पद पर पदस्थापित रहते हुए परिवहन विभाग के आयुक्त जयपुर को श्री बालाजी ट्रेक्टर्स, नोखा रोड़ बीदासर द्वारा प्रेषित की गई शिकायत की जांच प्रदर्श पी. 01 की गई थी और जांच के दौरान ट्रेक्टर के बिल तथा सेल लेटर बीदासर के श्री बालाजी ट्रेक्टर्स के द्वारा जारी किये जा रहे बिल तथा सेल लेटर के हुबहू थे। गवाह ने मौखिक परीक्षा में यह तथ्य भी स्पष्ट किया है कि ट्रेक्टरों के बिलों में पंजीयन करवाने के लिए टी.आर.सी. जारी की गई थी जो कि विभाग द्वारा वाटर मार्क स्टेशनरी के रूप में जारी की थी। जिन नम्बरों की टी.आर.सी. जारी की गई थी उन नम्बरों की टी.आर.सी. जिला परिवहन कार्यालय, चूरू के कार्यालय में जमा थी जो किसी भी ट्रेक्टर डीलर को जारी नहीं की गई थी। जांच में गवाह ने यह भी पाया था कि जो स्टेशनरी टी.आर.सी. बुक के रूप में प्रयोग की गई थी, वह उसके द्वारा स्वयं के स्तर पर छपवाई गई थी। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने जांच में श्री बालाजी ट्रेक्टर्स के पक्ष में टी.आर.सी. वाटरमार्क स्टेशनरी के रूप में जारी किए जाने के संबंध में कोई जांच नहीं की थी। इस प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू. 10 भंवर लाल की मौखिक साक्ष्य तथा अभियुक्तगण पर आरोपित टी.आर.सी. बिल बुक को फर्जी तथा कूटरचना कारित करते हुए उपयोग में लाने से संबंधित साक्ष्य महत्वपूर्ण है क्योंकि गवाह के कथनानुसार जिला परिवहन कार्यालय, चूरू के उपयोग के लिए टी.आर.सी. जारी की गई थी और पत्रावली पर अभियोजन की ओर से तत्कालीन जिला परिवहन कार्यालय, चूरू के किसी भी पदाधिकारी को बतौर गवाह परीक्षित नहीं करवाया गया है और ना ही पत्रावली पर इस आशय के कोई दस्तावेजात पेश किए गए हैं जिससे कि यह तथ्य स्पष्ट हो कि जिला परिवहन कार्यालय, चूरू से टी.आर.सी. की स्टेशनरी किसी डीलर को जारी की गई थी अथवा नहीं।

14. पत्रावली पर अभियोजन की ओर से भी गवाह पी.डब्ल्यू. 11 विक्रम सिंह परीक्षित हुआ है जो कि जिला परिवहन कार्यालय, डीडवाना में बतौर कनिष्ठ लिपिक पदस्थापित रहा है। गवाह के द्वारा पी.डब्ल्यू. 10 भंवर लाल के

द्वारा पेश की गई मौखिक साक्ष्य के विरोधाभास में इस आशय की साक्ष्य पेश की गई है कि दिनांक 13.07.2007 को उनके कार्यालय में टी.आर.सी. बुक संख्या 65501 से 65600 गणपित ट्रेक्टर एजेंसी डीडवाना को नियमानुसार दस हजार रूपये विभागीय शुल्क लेकर जारी की गई थी। जिरह के दौरान गवाह ने इस आशय का कथन किया है कि टी.आर.सी. की फीस किस व्यक्ति के द्वारा जमा करवाई गई थी उसका नाम अंकित नहीं है और इस तथ्य की भी जानकारी नहीं है कि टी.आर.सी. बुक संख्या 65600 के बाद में किस को जारी की गई थी। गवाह ने यह तथ्य भी स्वीकार किया है कि टी.आर.सी. लेने के लिए गणपति एजेंसी ने जो आवेदन पेश किया था वह आवेदन उनके कार्यालय में नहीं मिला है। गवाह ने स्वीकार किया है कि टी.आर.सी. बुक संख्या 65501 से 65600 उसके द्वारा जारी नहीं की गई और ना ही वह टी.आर.सी. जारी किए जाने के संबंधित सीगे में उस दौरान पदस्थापित रहा है।

15. गवाह पी.डब्ल्यू. 10 भंवर लाल प्रकरण में विवादित टी.आर.सी. बुक जिला परिवहन कार्यालय, चूरू को जारी किये जाने के संबंध में स्वयं का निष्कर्ष प्रदर्श पी. 01 जांच रिपोर्ट में दिये जाने का कथन करता है, जबकि गवाह पी.डब्ल्यू. 11 विक्रम सिंह उक्त टी.आर.सी. बुक जिला परिवहन कार्यालय, डीडवाना द्वारा जिला परिवहन कार्यालय, चूरू को जारी किए जाने के संबंध में कथन करता है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा पेश की गई मौखिक साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट नहीं है कि प्रकरण में जिस टी.आर.सी. बुक के बिल का अभियुक्तगण द्वारा फर्जी तथा कूटरचित किये जाने का आरोप लगाया गया है वह बिल बुक वास्तव में किस जिला परिवहन कार्यालय को प्राप्त हुई थी और किस जिला परिवहन कार्यालय द्वारा इसे ट्रेक्टर डीलर को बिल बुक जारी की गई है। ऐसी स्थिति में बिल बुक अभियुक्तगण के द्वारा ही प्रयोग में ली जाकर टी.आर.सी. बुक का दुरूपयोग किया जाकर जिला परिवहन कार्यालय, झुंझुनूं के समक्ष ट्रेक्टर के पुनः पंजीयन के लिए कूटरचित

दस्तावेजात पेश किये गये हैं, यह तथ्य अभियोजन पक्ष साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है।

16. पत्रावली पर गवाह पी.डब्ल्यू. 24 चिरंजीलाल परीक्षित हुआ है जो कि प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है। जिसके द्वारा भी इसी आशय के मौखिक कथन किए गए हैं कि अभियुक्त ज्ञानाराम ने अनुसंधान के दौरान इस आशय की इत्तिला दी थी कि बिल बुक, सेल लेटर इत्यादि डीडवाना में स्वयं के कार्यालय में रखी गई हैं और अभियुक्त के द्वारा दी गई उक्त सूचना के आधार पर बिल बुक, सेल लेटर प्रति प्रदर्श पी. 57 जब्त की गई है। गवाह के द्वारा जब्त कराई गई बिल बुक और सेल लेटर को पुलिसकर्मी गवाहान की उपस्थिति में जब्त किया गया है और जब्ती के दौराने जब्ती स्थल अभियुक्त ज्ञानाराम के अकेले के कब्जे में रहा है और बरामदगी स्थल अभियुक्त के स्वामित्व का है, इससे संबंधित कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर पेश नहीं की गई है। गवाह पी.डब्ल्यू. 24 चिरंजीलाल के द्वारा भी पत्रावली पर टी.आर.सी. विभाग द्वारा किस को जारी की गई है, इसके संबंध में कोई अनुसंधान किए जाने के बाद दिए गए निष्कर्ष से संबंधित कथन नहीं किए हैं। पत्रावली पर अन्य अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 41 सरजीत सिंह परीक्षित हुआ है जो भी टी.आर.सी. विभाग द्वारा किस डीलर को जारी की गई थी, इसके संबंध में अनुसंधान नहीं किया जाना स्वीकार करता है। ऐसी स्थिति में अभियोजन की ओर से परीक्षित टी.आर.सी. बुक से संबंधित गवाह के द्वारा पेश की गई साक्ष्य का विश्लेषण किया जावे तो न्यायालय के समक्ष सम्पूर्ण साक्ष्य लेखबद्ध होने के बाद भी यह तथ्य स्पष्ट नहीं हुआ है कि विभाग ने किस डीलर को टी.आर.सी. बुक जारी की है। हालांकि गवाह ने गणपति ट्रेक्टर डीलर को टी.आर.सी. बुक जारी होने के संबंध में कथन किए हैं और पत्रावली पर अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में गणपति एजेंसी डीडवाना के डीलर को परीक्षित नहीं करवाया है और गवाह पी.डब्ल्यू. 29 बंशीलाल मीणा जो कि सेवानिवृत जिला परिवहन अधिकारी हैं, उन्होंने गवाह पी.डब्ल्यू. 11 विक्रय सिंह के बयानों की ताईद की है कि

टी.आर.सी. बुक 65501 से 65600 गणपति एजेंसी, डीडवाना को ही जारी की गई थी, परंतु विभाग में टी.आर.सी. से संबंधित अभिलेख मौजूद नहीं मिला। इस प्रकार पत्रावली पर गणपति डीलर को टी.आर.सी. बुक दिये जाने के पश्चात उक्त बुक का दुरूपयोग हुआ है या उस टी.आर.सी. बुक के आधार पर फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजात बनाये जाकर पंजीयन का आवेदन जिला परिवहन कार्यालय, झुंझुनूं के समक्ष किया गया है, यह तथ्य पत्रावली पर पेश किए गए अभियोजन साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होता है।

17. इस प्रकार पत्रावली पर अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक षड़यंत्र रचकर गणपति एजेंसी को जारी की गई टी.आर.सी. बुक संख्या 65501 से 65600 का दुरूपयोग पूर्व से पंजीकृत ट्रेक्टर का अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही दोबारा पंजीयन के लिए आवेदन किया जाना पत्रावली पर प्रमाणित नहीं है। अतः इस संबंध में अभियुक्तगण पर आरोपित उक्त तथ्य अभियोजन साक्ष्य से प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

18. किसी तथ्य की कूटरचना के लिए यह आवश्यक है कि वह दस्तावेज धारा 463 भारतीय दण्ड संहिता में दिए गए तथ्यों के साथ धारा 464 भारतीय दण्ड संहिता में विहित तरीके से तैयार किया जावे। धारा 463 व 464 भारतीय दण्ड संहिता में कूटरचना व मिथ्या दस्तावेज रचने को परिभाषित किया गया है, जो निम्न प्रकार से हैः–

> भारतीय दंड संहिता की धारा 463 के अनुसार – जो कोई किसी मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रोनिक अभिलेख अथवा दस्तावेज को इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के किसी भाग को इस आशय से रखता है, कि लोक या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित की जाए, या किसी दावे या हक का समर्थन किया जाए, या यह कारित किया जाए कि कोई व्यक्ति संपति अलग करे या कोई अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा करे या इस आशय से रचता है कि कपट करे, या कपट किया जा सके, वह कूट रचना करता है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 464 के अनुसार उस व्यक्ति के बारे में यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलैक्ट्रानिक अभिलेख रचता है, –

पहला – जो बेईमानी से या कपटपूर्वक निम्नलिखित उद्देश्य से करे–

(क) किसी दस्तावेज को या दस्तावेज के भाग को रचित, मुद्रांकित, हस्ताक्षरित या निष्पादित करता है ;

(ख) किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख को या किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख के भाग को रचित या पारेषित करता है ;

(ग) किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख पर कोई अंकीय चिह्नक लगाता है;

(घ) किसी दस्तावेज के निष्पादन का या ऐसे व्यक्ति या अंकीय चिह्नक की अधिप्रमाणिकता का द्योतन करने वाला कोई चिह्न लगाता है, ताकि यह विश्वास किया जा सके कि ऐसा दस्तावेज या दस्तावेज के भाग, इलैक्ट्रानिक अभिलेख या अंकीय चिह्नक की रचना, निष्पादन, मुद्रांकन, हस्ताक्षरण, पारेषण या लगाना ऐसे व्यक्ति द्वारा या ऐसे व्यक्ति के प्राधिकार द्वारा किया गया था, जिसके द्वारा या जिसके प्राधिकार द्वारा उसकी रचना, हस्ताक्षरण, मुद्रांकन या निष्पादन, लगाए जाने या पारेषित न होने की बात वह जानता है; या

दूसरा – यदि कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख के किसी तात्विक भाग में परिवर्तन करे, उसके द्वारा या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, चाहे वह व्यक्ति किये गए परिवर्तन के समय जीवित हो अथवा नहीं, उस दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख के रचित या निष्पादित किए जाने या अंकीय चिह्न लगाए जाने के पश्चात्, उसे रद्द करके या फिर किसी अन्य प्रकार से, विधिपूर्वक प्राधिकार के बिना, बेईमानी से या कपटपूर्वक करे ; अथवा

तीसरा – यदि किसी व्यक्ति द्वारा, यह जानते हुए भी कि वह व्यक्ति किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख की विषयवस्तु को या

उसके परिवर्तन के रूप को, उसकी विकृतचित्त या मत्तता की हालत होने के कारण जान नहीं सकता था या उस प्रवंचना के कारण, जो उसके द्वारा ही की गई है, को जानता नहीं है, और उस दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख को बेईमानी से या कपटपूर्वक हस्ताक्षरित, निष्पादित, मुद्रांकित या परिवर्तित करे या किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख पर उसके अंकीय चिह्नक को अपने अंकीय चिह्नक में परिवर्तित करे।

19. धारा 464 भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार दस्तावेज की कूटरचना के लिए मिथ्या दस्तावेज रचना आवश्यक है। मिथ्या दस्तावेज धारा 464 भारतीय दण्ड संहिता में विहित तीन तरीकों से रचा जा सकता है। पहला जिसमें ऐसे दस्तावेज या उसका अभिलेख इलेक्ट्रोनिक मोड अभिलेख या उसके भाग को ऐसे व्यक्ति के द्वारा बेईमानीपूर्वक या कपटपूर्वक रचना, हस्ताक्षरित, निष्पादन, सम्प्रेषण या संयोजन किया जावे, जिसके द्वारा उक्त कार्य नहीं किए जाने की जानकारी वह जानता हो। दूसरा किसी दस्तावेज के तात्विक भाग में परिवर्तन बिना प्राधिकार के किया जावे और तीसरा किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रोनिक दस्तावेज की विषयवस्तु के परिवर्तन को विकृतचित्त या मत्तता की हालत में नहीं बनाने या प्रवंचना के कारण जानता नहीं है, के रूप में उसका निष्पादन किया जावे। इस प्रकार किसी दस्तावेज की कूटरचना के लिए आवश्यक है कि वह दस्तावेज धारा 463 भारतीय दण्ड संहिता के तथ्यों के साथ धारा 464 भारतीय दण्ड संहिता के उल्लिखित तर्कों से रचा जावे। प्रश्नगत प्रकरण में प्रथमतः तो यह तथ्य साबित ही नहीं है कि दस्तावेज प्रदर्श पी 10 शपथपत्र अभियुक्तगण द्वारा तैयार किया गया हो। द्वितीय उस तथ्य को एक बार के लिए सही मान भी लिया जावे तो भी यह दस्तावेज धारा 464 भारतीय दण्ड संहिता में विहित रिति से तैयार नहीं किया गया है, वहां किसी भी रूप में उक्त दस्तावेज कूटरचित होना नहीं माना जा सकता।

– विचारणीय बिंदु संख्या 02 –

20. उक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में पत्रावली पर दौराने बहस अभियुक्तगण अधिवक्ता का इस आशय का भी तर्क रहा है कि प्रकरण में अभियुक्तगण नोटेरी पब्लिक हैं जिनकी गिरफ्तारी किए जाने से पूर्व भारत सरकार से किसी प्रकार की अनुमति प्राप्त नहीं की है और इस प्रकार अनुसंधान अधिकारी ने नोटेरी पब्लिक अधिनियम में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन किया है और अभियुक्तगण की गिरफ्तारी अवैध है। पत्रावली पर अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 42 शिवलाल जोशी ने अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया है और उनके द्वारा प्रतिपरीक्षण के दौरान स्पष्ट रूप से यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि गिरफ्तारी से पूर्व उन्होंने सरकार से अनुमति प्राप्त नहीं की है। संबंधित विधि का अवलोकन किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से इस आशय का प्रावधान है कि नोटेरी पब्लिक द्वारा बतौर नोटेरी पब्लिक किए गए कार्य से संबंधित आपराधिक कृत्य होने पर गिरफ्तारी से पूर्व सरकार की अनुमति लिया जाना आवश्यक है।

21. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण पर इस आशय का आरोप है कि उनके द्वारा मूल दस्तावेजात से मिलान किया जाकर फोटोप्रति दस्तावेजात को तस्दीक नहीं किया गया है और दस्तावेजात के आधार पर अन्य अभियुक्तगण ने जिला परिवहन कार्यालय, झुंझुनूं के समक्ष 45 ट्रेक्टर के पंजीयन से संबंधित पत्रावली पेश कर पूर्व से पंजीकृत ट्रेक्टर का पुनः पंजीयन करवाया है। पत्रावली पर प्रदर्श पी. 03 लगायत पी. 47 के जरिए उन दस्तावेजात को जब्त किया गया है जो कि नोटेरी पब्लिक से तस्दीक किये गये हैं, हालांकि पत्रावली पर जब्ती से संबंधित गवाह और स्वयं अनुसंधान अधिकारी किन दस्तावेजात को नोटेरी पब्लिक द्वारा तस्दीक किया गया है इस संबंध में जानकारी होने से इनकार किया है, परंतु पत्रावली पर दस्तावेजात संलग्न किये गये हैं जिनका अवलोकन किये जाने से स्पष्ट है कि दस्तावेजात नोटेरी पब्लिक से तस्दीकशुदा है, परंतु उक्त दस्तावेजात मूल दस्तावेजात से भिन्न हैं यह तथ्य साबित होने के लिए पत्रावली पर मूल दस्तावेजात को जब्त किया जाना आवश्यक था जो कि

पत्रावली पर अनुसंधान अधिकारी द्वारा जब्त नहीं किए गए हैं। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर जब्तशुदा दस्तावेजात मूल दस्तावेज के समान नहीं है, यह तथ्य प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। पत्रावली पर गवाह पी.डब्ल्यू. 01 ने प्रतिपरीक्षण के दौरान स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी. 03 लगायत पी. 47 पत्रावली पर असल नहीं है और ना ही असल दस्तावेजात न्यायालय के समक्ष उपस्थित आया है। ऐसी स्थिति में जब पत्रावली पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजात साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है तब उन दस्तावेजात के आधार पर अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध को प्रमाणित माने जाने का निष्कर्ष दिया जाना विधिसम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध के लिए आवश्यक घटक अथवा आवश्यक साक्ष्य अभियोजन द्वारा पेश नहीं किये गये हैं। अतः अन्य अभियुक्तगण के साथ आपराधिक षड़यंत्र किया जाकर बतौर नोटेरी पब्लिक दस्तावेज को तस्दीक किया गया है, यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है।

– विचारणीय बिंदु संख्या 03 –

22. उक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में पत्रावली पर स्वीकृत स्थिति है कि अभियुक्तगण बीरबल सिंह, बनवारी लाल तथा कैलाश चंद घटना के समय विभाग में बतौर परिवहन निरीक्षक के तौर पर कार्यरत थे और गवाह पी.डब्ल्यू. 01 के द्वारा इस आशय का कथन किया गया है कि जब पंजीयन के लिए विभाग के समक्ष पत्रावली पेश की जाती है तब वाहन का भौतिक सत्यापन परिवहन निरीक्षक के द्वारा किया जाता है तथा वाहन के ईंजन नम्बर तथा चैचिस नम्बर फार्म–20 पर उतारे जाते हैं जो परिवहन निरीक्षक का ही कार्य है। पत्रावली पर प्रदर्श पी. 03 लगायत पी. 47 व वाहन के आवेदन मय पत्रावली को पेश किया गया है, जिनका सत्यापन अभियुक्तगण के द्वारा किया गया है। उक्त समस्त दस्तावेजात के अवलोकन से साबित है कि चैचिस नम्बर तथा ईंजन नम्बर फार्म–20 पर कार्बन प्रति के रूप में अंकित किए गए हैं। पत्रावली पर प्रति प्रदर्श पी. 48 ट्रेक्टर के दस्तावेजात जब्त किए गए हैं। उक्त

दस्तावेजात केवल 4 ट्रेक्टरों से संबंधित हैं और पत्रावली पर केवल 4 ट्रेक्टर ही जब्त किया जाना अनुसंधान अधिकारी ने स्वीकार किया है। पत्रावली पर उन ट्रेक्टर के चैचिस नम्बर एवं ईंजन नम्बर परिवहन निरीक्षक के द्वारा फार्म–20 में कार्बन प्रति के रूप में अंकित किए गए ईंजन नम्बर तथा चैचिस नम्बर से भिन्न हैं, इसी आशय की साक्ष्य अनुसंधान अधिकारी ने दी है और अन्य गवाह के द्वारा मौखिक साक्ष्य पेश की गई है। पत्रावली पर मूल वाहन जिसके पंजीयन से संबंधित आवेदन जिला परिवहन कार्यालय, झुंझुनूं के समक्ष पेश हुआ है वे जब्त नहीं हुए है और ना ही अभियुक्तगण पर आरोपित तथ्यों के अनुसार मूल पंजीकृत स्वामी जिन्हें पूर्व में उक्त प्रश्नगत 45 ट्रेक्टर अन्य परिवहन विभाग द्वारा पंजीकृत कर जारी किए गए हैं को बतौर गवाह न्यायालय के समक्ष पेश हुए हैं एवं ना ही पंजीयन से संबंधित मूल पत्रावली पर पेश हुए हैं और ना ही जिन परिवहन विभाग के द्वारा वाहनों का पंजीयन किया गया है उससे संबंधित गवाहान पत्रावली पर पेश हुए हैं। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर अभियोजन की ओर से परीक्षित किए गए साक्ष्य जिसमें गवाह पी.डब्ल्यू. 14 भगवान सिंह का कथन है कि ट्रेक्टर नम्बर RJ11RA2066 को विजेंद्र वगैरह नाम से पंजीकृत करवाया था, गवाह पी.डब्ल्यू. 15 नरेश कुमार ने प्रकाश मीणा को वाहन बेचे जाने के संबंध में कथन किए हैं, पी.डब्ल्यू. 16 सुंदरलाल ने ट्रेक्टर संख्या RJ29R2391 जगन, रामकिशन एवं इंद्राज के नाम पंजीकृत होने बाबत कथन किए हैं। गवाह पी.डब्ल्यू. 17 जितेंद्र ने मैसी ट्रेक्टर भूपेंद्र, इकिमुद्दीन, रामकरण, चरणसिंह को विक्रय किये जाने बाबत कथन किये हैं। गवाह पी.डब्ल्यू. 18 अनिल गर्ग ने चार ट्रेक्टर एक–एक करके प्रदीप कुमार, नत्थीलाल, चिरंजी एवं नरेश व पप्पू को विक्रय किये जाने बाबत कथन किए हैं। गवाह पी.डब्ल्यू. 19 रामवतार गर्ग ने एक ट्रेक्टर भगवान सिंह को एवं दूसरा ट्रेक्टर मंगला जाटव को विक्रय किये जाने बाबत साक्ष्य दी है। इस प्रकार उक्त सभी गवाहान ने ट्रेक्टर अन्य लोगों को विक्रय किये जाने बाबत कथन किए हैं, परंतु ट्रेक्टर के चैचिस नम्बर तथा ईंजन नम्बर प्रदर्श पी. 48 में वर्णित सूची के

समान हैं, इस संबंध में पत्रावली पर गवाहान के द्वारा कोई भी कथन नहीं किए गए हैं। ना ही पत्रावली पर जिन व्यक्तियों को पूर्व में ट्रेक्टर विक्रय किये गये हैं उन्हें बतौर गवाह परीक्षित करवाया गया है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर जब मूल पंजीकृत स्वामी परीक्षित नहीं हुआ है ना ही पंजीयन से संबंधित मूल पत्रावली पेश हुई है, तब न्यायालय के समक्ष प्रदर्श पी. 48 में वर्णित सूची के अनुसार ट्रेक्टर पूर्व में पंजीकृत हुए हैं और उनका बीमा करवाया गया है, यह तथ्य पत्रावली पर अभियोजन की साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होता है। इस प्रकार पत्रावली पर अभियोजन ने अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से जाने के पर्याप्त श्रृंखलाबद्ध सकारात्मक साक्ष्य पेश नहीं की है। अतः उक्त विचारणीय बिंदु भी अभियोजन पक्ष के विपरीत तय किया जाता है।

–निष्कर्ष–

23. उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन की ओर से यह तथ्य किसी रूप में युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं किया गया है कि अभियुक्तगण ज्ञानाराम, देवी दयाल उर्फ देबू, जाकिर खान, बीरबल सिंह, बनवारी लाल, कैलाश चंद तथा दिनेश सागर ने गणपति ट्रेक्टर एजेंसी डीडवाना को जारी टी.आर.सी. (Temporary Registration Certificate) बुक संख्या 0065501 से 0065600 का कम्पनी बंद होने के बाद दुरूपयोग कर फर्जी टी.आर.सी. बिल जारी कर पूर्व से पंजीकृत तथा वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही जिला परिवहन कार्यालय, झुंझुनूं से 48 ट्रेक्टरों का पंजीयन करवाये जाने के लिए मूल्यवान दस्तावेजात की कूटरचना की हो एवं अभियुक्त मोहम्मद युनुस एवं जगमोहन और सुशील कुमार द्वारा नोटेरी पब्लिक होते हुए अन्य अभियुक्तगण से आपराधिक षड़यंत्र किया जाकर दस्तावेजात को मूल से मिलान किए बिना ही प्रमाणीकरण कर कूटरचित दस्तावेजात तैयार किये हैं तथा अभियुक्तगण बीरबल सिंह, बनवारी लाल तथा कैलाश चंद ने अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर आपराधिक षड़यंत्र रचकर जिला परिवहन कार्यालय, झुंझुनूं के समक्ष पंजीयन हेतु पेश किए गए 45

ट्रेक्टरों का कूटरचित दस्तावेजात के आधार पर सत्यापन किया जाकर आपराधिक कृत्य किया हो। लिहाजा अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–आदेश–

24. परिणामतः अभियुक्तगण 1. ज्ञानाराम पुत्र मूलाराम, निवासी प्लॉट नम्बर 59 गोपाल बाड़ी लाडनू रोड़ डीडवाना, जिला नागौर (राज.) 2. जाकिर खान पुत्र मेजरखान, निवासी पुरा की ढाणी, पुलिस थाना सदर झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं (राज.) 3. देवी दयाल उर्फ देबू पुत्र भागीरथमल, निवासी अम्बेडकर नगर फतेहपुर रोड़ सीकर, जिला सीकर (राज.) 4. रतनाराम पुत्र मोहनराम, निवासी नगवाड़ा, पुलिस थाना चितावा, जिला नागौर (राज.) 5. सुशील कुमार पुत्र विनोद कुमार, निवासी वार्ड नम्बर 28 शेखपुरा मोहल्ला सीकर, जिला सीकर (राज.) 6. मोहम्मद याकूब पुत्र फतेह मोहम्मद, निवासी ग्राम भीमसर, पुलिस थाना सदर झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं (राज.) 7. जगमोहन पुत्र जगराम सिंह, निवासी झान्झा, पुलिस थाना बुहाना हाल सी–41 रीको कॉलोनी झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं (राज.) 8. मनोहरलाल पुत्र रामेश्वर लाल, निवासी इण्डाली, पुलिस थाना बगड़ हाल किसान कॉलोनी झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं (राज.) 9. बीरबल सिंह पुत्र बिरजु राम, निवासी संजय नगर पोस्ट भोजासर, पुलिस थाना मण्डावा, जिला झुंझुनूं (राज.) 10. बनवारी लाल पुत्र झुंथाराम, निवासी भोजासर, पुलिस थाना मण्डावा, जिला झुंझुनूं (राज.) 11. कैलाश चंद पुत्र कानाराम, निवासी बालेरा, पुलिस थाना छापर, जिला चूरू (राज.) 12. दिनेश सिंह सागर पुत्र छोटे लाल सागर, निवासी B–31 सरस्वती नगर बासनी, पुलिस थाना बासनी, जिला जोधपुर हाल डी.टी.ओ. जोधपुर, जिला जोधपुर (राज.) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 420, 465, 467, 468, 471, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थिति बाबत निष्पादित जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

25. प्रकरण में जब्तशुदा ट्रेक्टर को संबंधित को सुपुर्द किया जावे। इस बाबत संबंधित थानाधिकारी को तहरीर जारी हो।

(अनुभा सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झुंझुनूं (राज.)

26. निर्णय आज दिनांक 23 जुलाई, 2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में उद्घोषित कर हस्ताक्षरित किया गया।

(अनुभा सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.08.14 15:33:53 IST